डीपॉय एएसआर™ हिप रीसर्फेसिंग सिस्टम और एएसआर™एक्सएल एसीटैब्युल़र सिस्टम
रोगी सहमति प्रपत्र के बारे में अतिरिक्त जानकारी

डीपॉय ऑर्थोपीडिक्स,इंक (''डीपॉय'') उन संभावित प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे जो रोगी सहमति प्रपत्र के संबंध में या एएसआर™ हिप सिस्टम रिकॉल से संबंधित चिकित्सीय जानकारी डीपॉय को उपलब्ध कराने के बारे में शल्यचिकित्सकों और रोगियों के हो सकते हैं.

एएसआर दावा केन्द्र (क्लेम सेंटर)

डीपॉय ने दावों के मूल्यांकन और प्रतिपूर्ति प्रक्रियाकृत करने में सहयोग के लिए एक तीसरे पक्ष, क्रॉफर्ड एंड कम्पनी (''क्रॉफर्ड'') की सेवाएं ली हैं और रोगियों के बारे में जानकारी सीधे क्रॉफर्ड को उपलब्ध कराई जानी चाहिए. रोगी सहमति प्रपत्र में क्रॉफर्ड का पता और विवरण शामिल किया गया है.

रोगी सहमति प्रपत्र की भूमिका

रोगी सहमति प्रपत्र का उद्देश्य शल्यचिकित्सकों और सामान्य चिकित्सकों को चिकित्सीय उपचार से संबंधित रोगी की जानकारी डीपॉय और क्रॉफर्ड (''कम्पनियां'') के साथ साझा करने की अनुमति देना है. कम्पनियों को इस जानकारी की ज़रूरत इस बात की पुष्टि करने के लिए है कि क्या रोगी ने कोई एएसआर हिप उत्पाद प्राप्त किया है और यह भी कि एएसआर रिकॉल से जुड़े चिकित्सीय उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए रोगी योग्य हैं या नहीं.

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि रोगी सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर या कम्पनियों को चिकित्सीय जानकारी उपलब्ध कराकर रोगी कानूनी कार्रवाई करने के अपने कानूनी अधिकार से वंचित नहीं होते/ती हैं. सच तो यह है कि रोगी सहमति प्रपत्र में यह बात खास तौर पर उल्लिखित है कि वे अपने किसी अधिकार से वंचित नहीं होंगे.

रोगियों को इस बात की कोई बाध्यता महसूस नहीं होनी चाहिए कि वे सहमति दे ही दें और उन्हें तत्काल रोगी सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने की भी ज़रूरत नहीं है. यदि रोगी सहमति नहीं देने का निर्णय करते हैं तो भी कम्पनियां यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगी कि एएसआर रिकॉल से जुड़े चिकित्सीय उपचार के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए क्या रोगी योग्य हैं. बहरहाल रोगी के चिकित्सीय रिकॉर्ड तक पहुंच के बिना कम्पनियां इस बात की पुष्टि नहीं कर पायेंगी कि क्या रोगी का कोई एएसआर इम्प्लांट हुआ है और क्या वह प्रतिपूर्ति का हकदार है, या फिर प्रतिपूर्ति देने में विलम्ब हो सकता है.

यदि रोगी को एक्सप्लांटेड उत्पाद के हिस्सों यानी निकाले गये उत्पाद को देने के संबंध में कोई चिंता है, तो प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले रोगी को रोगी सहमति प्रपत्र के पैरा १ (iii) को क्रॉस कर देना चाहिए. यदि रोगी एक्सप्लांटेड उत्पादों को उपलब्ध कराना चाहते हैं तो रोगी सहमति प्रपत्र के इस हिस्से को बाद में कभी दिया जा सकता है. दिये गये एक्सप्लांटेड उत्पाद की जांच ऐसे की जायेगी जिससे वह नष्ट नहीं हो और अनुरोध करने पर उसे रोगी के चिकित्सक को वह लौटा दिया जायेगा.

डीपॉय के लिए रोगी का स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है. रिकॉल के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हमने अस्पतालों, चिकित्सकों, रोगियों और नियामकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखा है और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह पत्र दिया गया है. रोगियों को यदि रोगी सहमति प्रपत्र के संबंध में कोई प्रश्न है या वे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए या नहीं, तो उन्हें अपने शल्य चिकित्सक या सामान्य चिकित्सक के साथ बात करनी चाहिए या स्वतंत्र रूप से सलाह लेने पर विचार करना चाहिए.

अतिरिक्त जानकारी www.depuy.com (कृपया भारत पृष्ठ देखें) पर या एएसआर हेल्पलाइन ०००८००६५०१७१३ पर उपलब्ध है.